



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 2680 /2026

नसीम

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक अधिवक्ता

: सौरभ सिंह

प्रतिवादी अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. लिस्ट में बदलाव किया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री सौरभ सिंह की ओर से पेश अधिवक्ता श्री मानवेंद्र सिंह और राज्य के लिए ए.जी.ए. श्री सुनील कुमार को सुना गया और रिकॉर्ड में रखी गई सामग्री को देखा गया।
3. आवेदक मुकदमा अपराध संख्या 237/2025, धारा 103(1), 191(2), 351(3), 352, 115(2), 3(5) बीएनएस, पुलिस स्टेशन हल्दौर, जिला बिजनौर के अंतर्गत मुकदमा लंबित रहने के दौरान जमानत चाहता है।
4. आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है।
5. आवेदक के अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि आवेदक का नाम प्राथमिकी में नहीं है। उसका नाम 14.10.2025 को चश्मदीद गवाह के बयान में आया, यानी प्राथमिकी से पांच दिन और घटना से छह दिन की देरी के बाद। आवेदक को बाद में सोचकर देर से नामजद किया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 17.10.2025 से जेल में बंद है और वह मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। अगर आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की आज्ञादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा।

6. विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत अर्जी का जोरदार विरोध किया है, लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की दलीलों पर कोई बहस नहीं हो सकी।

7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, पार्टियों के अधिवक्ताओं की दलीलें, रिकॉर्ड में मौजूद सबूत, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक का नाम प्राथमिकी में नहीं है और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, पहली नज़र में न्यायालय का मानना है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला बनाया है। जमानत अर्जी **मंज़ूर** की जाती है।

8. आवेदक- **नसीम**, जो ऊपर बताए गए आपराधिक मामले में शामिल हैं, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बॉन्ड और उतनी ही रकम के दो जमानतदार देने पर इन शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाता है। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों को सत्यापन किया जाना चाहिए।

(i) आवेदक जमानत के दौरान सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक सरकारी गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराया-धमकाएगा।

(iii) आवेदक तय तारीख पर विचारण न्यायालय के सामने पेश होगा।

9. ऊपर दी गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

10. यह साफ़ किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई बातें, गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी अलग राय बनाने में विद्वान विचारण न्यायाधीश पर किसी भी तरह से असर नहीं डालेंगी।

(माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

28 जनवरी, 2026

शालिनी